मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्रमांक2966/3140/2021/20—2 भोपाल दिनांक 29.12.2021

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः—15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं हेतु कोविड—19 वैक्सीनेशन के संबंध में।

भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं का कोविड—19 वैक्सीनेशन प्रारम्भ किया जाना है।

इस हेतु प्रदेश के समस्त विद्यालयों (सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त, मदर से, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय एवं पॉलिटेक्निक/आई.टी.आई. कॉलेज तथा अन्य शिक्षा संस्थान) में उल्लेखित 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं को एक निश्चित कार्ययोजना के तहत कोविड—19 वैक्सीन से टीकाकृत किया जायेगा। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निम्न गतिविधियां संचालित करना सुनिश्चित करें :—

1. जिले में पंजीकृत समस्त शिक्षा संस्थान (सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त, मदरसे, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय एवं पॉलिटेक्निक/आई.टी.आई. कॉलेज तथा अन्य शिक्षा संस्थान) के अध्ययनरत, ड्रापआउट एवं स्कूल छोड चुके 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराना।
2. 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं के कोविड—19 वैक्सीनेशन के संबंध में शिक्षकों का उन्मुखीकरण एवं जागरूकता करना।
3. कोविड—19 वैक्सीनेशन में शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों द्वारा मोबिलाईजेशन में सक्रिय सहयोग करना।
4. डी.ई.ओ., बी.ई.ओ., बी.आर.सी.सी. एव अन्य अधिकारियों द्वारा शालाओं में होने वाले वैक्सीनेशन की शत—प्रतिशत उपलब्धी प्राप्त करने हेतु मॉनिटरिंग कराना जिस से पात्र बालक/बालिका वैक्सीनेशन से वंचित ना रहे।
5. शालाओं में आयोजित होने वाले कोविड—19 वैक्सीनेशन सत्रों हेतु आवश्यक Infrastructure तीन कक्ष (प्रतीक्षा/पंजीयन कक्ष, टीकाकरण कक्ष तथा निगरानी कक्ष), पेयजल, टॉयलेट, परिसर में स्वच्छता आदि की व्यवस्था एवं कोविड—19 अनुकूल व्यवहार का पालन।
6. 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं के कोविड—19 वैक्सीनेशन हेतु प्रचार—प्रसार गतिविधियां संचालित करना।

7. सत्र आयोजन के दिन, शालाओं में पंजीकृत 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओ की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना।
8. अभियान को सफल बनाये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर, संपूर्ण सहयोग करना।

29/12/2021
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक 2967 3140/2021/20–2 भोपाल दिनांक 29.12.2021
प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, सचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/सचालक, राज्य शिक्षा केन्द्रम.प्र. भोपाल
4. मिशन सचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय सचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।

29/12/2021
उप सचिव
म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग